न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.2016/0000152

मिसल नम्बर–08 / 2006

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

.....प्रार्थी

बनाम

1. रक्षा सम्पदा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, जयपुर राज0
2. शिवकांत आत्मज श्री देवता श्रीधरलाल जी
3. चन्द्रकांत आत्मज श्री देवता श्रीधरलाल जी
   निवासीगण बडे देवता जी की हवेली पाटनपोल, राधा विलास कोटा

.....अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है:.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। प्रकरण निम्न प्रकार है:.

ग्राम खेडली पुरोहित की विवाद ग्रस्त आराजी संवत 2003 से 2006 की जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 33 तथा नवीन खसरा संख्या 118 रकबा 4.27 हैक्टर सिवायचक किस्म गैर मुमकीन दर्ज अभिलेख है। वक्त बन्दोबस्त भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2016 से 2024 में भूमि रक्षा मंत्रालय विभाग की खातेदारी मे बिना किसी आधार के दर्ज कर दी गई जबकि भू प्रबंध विभाग को भूमि अन्य किसी भी खातेदारी मे दर्ज कर परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नही है। प्रकरण मे न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 06.02.2001 से ग्राम खेडली पुराहित के खसरा नम्बर 118 रकबा 4.27 हैक्टर भूमि सिवायचक दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया था। न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध सम्पदा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय विभाग की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय मे दिनांक 17.4.2001 को एक अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकरण कोटा ने अपने आदेश दिनांक 15.05.2001 से प्रकरण मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने के कारण मूल अपील सम्पदा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय विभाग को लौटा दी गई। तत्पश्चात सम्पदा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय विभाग द्वारा दिनांक 17.05.2001 को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा मे अपील प्रस्तुत की।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त के संबंध मे न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा ने दिनांक 27.09.2005 को आदेश पारित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा परित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2001 एतद् निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन कर तथा आवश्यकता हो तो मौका निरीक्षण भी करे तथा इसके बाद व्यवस्थित ढंग से निर्णय पारित करे।

उक्त निर्णय उपरांत पत्रावली रिमाण्ड होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई है।

दिनांक 07.04.2008 को प्रार्थी श्री प्रेमनारायण शर्मा आत्मज स्व0 कृष्ण दत्त शर्मा जाति ब्राह्मण आयु लगभग 62 साल निवासी मकान नम्बर बी 110 सीता एन्कलेव रोड, मैन स्टेशन रोड, कोटा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिय संहिता 1908 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

तहसीलदार लाडपुरा कोटा ने इस न्यायालय मे एक प्रकरण प्रस्तुत करके मुख्य स्टेशन रोड पर स्थित सीता एन्कलेव रोड, तथा उसके आमने सामने की संबंधित भूमियों को राज्य सरकार की भूमियां माना जाकर संवंधित राजस्व रिकोर्ड व सिवायचक भूमि घोषित करने तथा मिलेट्री के सम्पदा अधिकारी का दखल हटवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। उक्त प्रार्थना.पत्र में इस माननीय न्यायालय में 6.2.2001 को तहसीलदार लाडपुरा कोटा के प्रार्थना.पत्र को स्वीकार करके खसरा नम्बर 118 की 4.27 हेक्टेयर भूमि को सिवाययक भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया था। इस आदेश से व्यथित होकर सम्पदा अधिकारी ने एक अपील न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा में प्रस्तुत की थी। न्यायालय अतिरिक्ति संभागीय अधिकारी कोटा ने सम्पदा अधिकारी की अपील पर प्रकरण पुनः इस न्यायालय को सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया है।

इस प्रकरण में प्रार्थी का भी हित निहित है। प्रार्थी का मुख्य सीता एन्क्लेव रोड पर लगभग 110 फुट चौडी एवं लगभग 90 फुट लम्बी भूमि पर मकान बना रखा है। जिस भूमि को प्रार्थी के पिता श्री कृष्ण दत्त शर्मा ने सन् 1974 में प्रार्थी एवं उसकी माता के नाम दो टुकडों में भूमि खरीदकर मकान निर्माण करा लिया गया था तथा तब से ही प्रार्थी का पूरा परिवार भूमि एवं मकान पर काबिज हैं। प्रार्थी एवं उसका परिवार मैन स्टेशन रोड से सीता एन्क्लेव रोड से प्रवेश करके अपने मकान में लगातार आते–जाते रहे हैं। और आज दिनांक तक भी मैन स्टेशन रोड से ही अपने वाहन सहित आ एवं जा रहे हैं। स्पष्ट है कि यदि उक्त भूमि सम्पदा अधिकारी की मानी जाती है तो वह मैन रोड से प्रार्थी एवं उसके परिवार को आने जाने नहीं देगें। ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

स्थिति में प्रार्थी एवं उसका परिवार अपने मकान के उपयोग एवं उपभोग को रखने से वंचित रह जावेगा।

उपरोक्त सही एवं वास्तविक स्थिति के परिपेक्ष्य मैं स्पष्ट है कि इस प्रकरण में प्रार्थी का भी हित निहित हैं। यही नहीं एक प्रकार से प्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा के कथन से पूर्ण रूपेण सहगत हैं कि इन समस्त भूमियों से प्रतिपक्षी सम्पदा अधिकारी का कोई सरोकार नहीं है। तथा उन्हें इस भूमि के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उसे इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जावे तथा उसे इस प्रकरण में सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावे, अन्य सभी सहायता जो भी माननीय न्यायालय न्यायोचित समझे वह भी मुझ प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थीगण शिव कांत आत्मज श्री देवता श्री धरलाल जी एवं चन्द्र कांत आत्मज श्री देवता धर लाल जी निवासीगण बडे देवता जी की हवेली, पाटन पोल, राधा विलास कोटा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर टी एक्ट, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार विधि संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

प्रस्तुत कार्यवाही राज्य सरकार की ओर से आबादी की भूमि एंव सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों की भूमि को गलत तौर पर सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा महकमा मिलेट्री के खाते दर्ज कर दिये जाने के कारण दुरूस्ती इन्द्राज हेतु प्रस्तुत की गयी है।

तत्कालीन कोटा राज्य द्वारा सन् 1946 में सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की स्थापना की गयी थी तथा कोटा रियासत द्वारा सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दिनांक 11.10.1947 को 30 बीघा भूमि भवन निर्माण हेतु प्लाट विक्रय करने हेतु आंवटित की गयी थी। सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा स्टेट कोटा द्वारा इस भूमि में से प्लाट नं0 4 स्टेशन रोड जिसका क्षेत्रफल 300 गुणा 150 वर्गफीट था, ठिकाना देवता श्री घर जी को दिनांक 4.11.1947 को 11,250/–रूपये में विक्रय किया गया था जिसकी पुष्टि डवलपमेन्ट सेक्रेटी महकमा खास कोटा के पत्र दिनांक 6.11.1947 द्वारा की जाकर देवता श्री धर लाल जी को उक्त प्लाट का आवंटन किया गया तथा उक्त विक्रय की सम्पूर्ण राशि दिनांक 15.1.1948 को जमा होने पर उक्त प्लाट नं0 4 का कब्जा खरीददार श्री देवता श्री धरलाल जी को दे दिया था।

15 अप्रेल सन् 1948 को कोटा रियासत का भारत संघ में विलय हुआ था, दिनांक 14 अप्रैल 1948 तक कोटा के शासक श्री महाराव भीमसिंह जी थे और उन्हें सम्प्रभुसत्ता अधिकार प्राप्त थे। तत्कालीन कोटा रियासत द्वारा सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को किये गये उक्त 30 बीघा भूमि के आवंटन की वेलिडिटी को चैलेन्ज करने का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय अतिरिक्त स...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

किसी अधिकारी अथवा न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के तहत पूर्व शासक द्वारा पारित आदेश एंव कानून से भारत संघ पाबन्द है।

उक्त प्लाट पर श्री देवता श्री धर लाल जी द्वारा सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा से दिनांक 21.5.1949 को निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर भवन का निर्माण करवाया गया, जो जनवरी 1950 में बन कर पूर्ण हो गया।

इस भूमि पर निर्मित कोठी को किराये पर लेने के लिये जिला कलेक्टर कोटा द्वारा सन् 1951 में Requsite किया गया, किन्तु अपने पत्र दिनांक 9.8.1951 से वापस D-requisitioned कर दिया।

उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड एंव उस पर निर्मित भवन को इसके मालिक देवता श्रीधर लाल जी द्वारा कोटा के भूतपूर्व शासक श्री महाराव श्री साहेब बहादुर को दिनांक 31.5.1952 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया।

उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड एंव उस पर निर्मित भवन को श्री महाराव भीम सिंह जी साहब द्वारा (श्री शिवकांत एंव श्री चन्द्रकान्त राव पिसरान श्री देवता श्री घर लाल जी) प्रार्थीगण को दिनांक 31.5.1966 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया।

उक्त भवन को मय खाली भूमि श्री राम रेयन्स द्वारा दिनांक 1.5.1973 को लीज पर लिया गया। उक्त भवन में श्री राम रेयन्स कोटा के जनरल मेनेजर श्री बी डी पाठक रहते थे।

मिलेट्री एस्टेट आफिसर राजस्थान सर्किल जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 1.2.1978 से उक्त 150 गुणा 300 फीट भूखण्ड एंव उस पर निर्मित भवन पर अनाधिकृत अतिक्रमण होना मान कर उक्त भूमि एंव भवन सम्बन्धी दस्तावेज 15 दिन में पेश करने का श्री बी. डी. पाठक को नोटिस भेजा।

श्री राम रेयन्स की ओर से पत्र का जवाब दिनांक 11.2.1978 को मिलट्री एस्टेट ऑफिसर राजस्थान जयपुर, को भिजवाया तथा इसकी सूचना भवन के मालिक शिवकान्त ठाकर (प्रार्थी नं० 1) को भी दी।

मालिक मकान प्रार्थी नं० 1 शिव कांत ठाकर पुत्र श्री देवता श्रीधर लाल जी ने उक्त पत्र का जवाब दिनांक 14.2.78 को जरिये रजिस्ट्री ए. डी. मिलेट्री एस्टेट ऑफिसर राजस्थान सर्किल जयपुर को भिजवा दिया।

उक्त भूमि व भवन को दिनांक 17.7.2000 को 7-Raj-AIR SQN- NCC, kota को किराये पर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
को...

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

उक्त भूमि पर स्थित भवन एवं उसके आगे के लोन को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा दिनांक 22.2.2006 को अपने कुलपति के निवास के लिये किराये पर लिया गया तथा इस समय कुलपति इस भवन में निवास कर रहे है।

इस भूमि एंव भवन का राजस्थान सरकार के सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने आदेश मार्च–1979 से कर निर्धारण किया तथा इस भूमि एवं भवन का सन् 1974 से कर जमा है।

मिलेट्री एस्टेट आफिसर राजस्थान सर्किल जयपुर के पत्र दिनांक 22.12.1965 की अनुपालना में जयपुर से एक मिलेट्री अधिकारी ने सेकेट्री मण्डी कमेटी कोटा से दिनांक 14.1.1966 को मिल कर तथा उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड भूतपूर्व कोटा एस्टेट के राज्यादेश आवंटन पत्रावलियों का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की इस रिपोर्ट में भी उक्त प्लाट नं0 4 श्री देवता श्री धर लाल जी को विक्रय करने एंव उस पर भवन निर्माण होने का उल्लेख है।

लोक सभा में सिटी इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विक्रय किये गये समस्त प्लाट जिसमें उक्त प्लाट नं० 4 भी शामिल है, के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न के जवाब में आर्मी हेड क्वार्टर द्वारा दिये गये जवाब दिनांक 15.7.1965 जो सदन के पटल पर रखा गया में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि "विधि मंत्रालय" से कानूनी सलाह देने के बाद ही इस बारे में कोई कार्यवाही की जावेगी।

स्टेशन हेड क्वार्टर राजस्थान, जोधपुर के पत्र दिनांक 10.5.1966 से भी यह स्पष्ट है कि भारत सरकार के "विधि मंत्रालय" ने भी यह सलाह दी है कि सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा द्वारा नीलाम/आवंटन किये गये प्लाटों को भारत सरकार द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता।

इन प्लाटों में से प्लाट नं0 5 भी दिनांक 6.11.47 को ही सेकेट्री डवलपमेन्ट महकमा खास द्वारा श्री नारायण सिंह ब्रह्मावर को विक्रय किया गया था, जिसे उनके द्वारा इनकम टेक्स विभाग, भारत सरकार को विक्रय कर दिया। उक्त प्लाट नं0 5 पर इनकम टेक्स विभाग द्वारा निर्माण कार्य करने पर मिलेट्री अधिकारियों द्वारा आपत्ति करने पर इनकम टेक्स विभाग द्वारा "रक्षा विभाग" को कानूनी नोटिस दिया गया, जिसके जवाब में भारत सरकार के रक्षा विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक नं० 10/100/L/92C/62 दिनांक 22.5.67 द्वारा यह माना गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने यह सलाह दी है कि तत्कालीन कोटा सरकार द्वारा सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के द्वारा किये गये भूमि आवंटन को वर्तमान सरकार द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

स्टेशन हेड क्वार्टर कोटा द्वारा MEO Delhi को लिखे गये पत्र दिनांक 20.7.1965 में यह स्पष्ट माना है कि राजस्व रिकार्ड में भारत सरकार का नाम दर्ज होने मात्र से ही यह Title का Conclusive proof नहीं है।

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा रक्षा सम्पदा अधिकारी, रक्षा विभाग को लिखे गये पत्र दिनांक 21.6.97 एंव दिनांक 26.9.97 से भी उक्त भूमि का विक्रय नियमानुसार किया जाना माना है।

डी० जी० के आदेश से सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विक्रय किये गये 24 भवनों की भूमि को मिलेट्री लेण्ड रेकार्ड में से हटाया जा चुका है।

उपरोक्त वर्णित समस्त दस्तावेजात से भारत सरकार के "विधि मंत्रालय" एंव "रक्षा मंत्रालय" एव रक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर उक्त भूभाग पर खरीददार श्री दरवता श्री धर लाल जी का पूर्ण मालिकाना हक होना माना है तथा इस भूमि एव भवन पर 'रक्षा विभाग' का न तो कभी कोई हक रहा है और न कब्जा ही रहा है।

जनवरी सन् 1948 से ही इस भूखण्ड पर श्री देवता श्रीधर लाल जी एंव उसके हस्तान्तरियों का शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है।

सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा तत्कालीन कोटा राज्य द्वारा सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को आवंटित की गयी उक्त 30 बीघा भूमि को गलत तौर पर महकमा मिलेट्री के खाते में दर्ज कर दिया है उसको दुरूस्त कराने के लिये ही राज्य सरकार द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थीगण भी सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विक्रय किये गये उक्त भूखण्ड के मालिक है, इस भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय से प्रार्थीगण के हकों पर प्रभाव पडेगा इसलिये प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनना चाहते है ताकि समस्त तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

लिखित बहस

प्रकरण में अप्रार्थी रक्षा सम्पदा अधिकारी जयपुर की ओर से निम्नानुसार लिखित बहस पेश है:–

भारतीय संविधान के आर्टिकल 295 के अनुसार संविधान के दिनांक 26.1.1950 से लागू होने से भूतपूर्व कोटा रियासत की फौज के उपयोग की समस्त भूमि भारतीय सेना की हो गई थी। इस बाबत भारतीय सेना के व राज्य सरकार की अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसके अनुसार समस्त भूमि का हेंडिग ओवर/टेकिंग ओवर दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

4.12.50 को हुआ था। इसके अनुसार ऐसी समस्त भूमि का स्वामित्व केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय का हो गया जिसके लिए किसी प्रकार के इंतकाल अथवा आवंटन आदि की किसी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नही बची थी।

सम्पादित हैंडिंग ओवर/टेकिंग ओवर नोट में ग्राम खेड़ली पुरोहित की भूमि 152 बीघा दर्शाई है। इसी के आधार पर यह भूमि राजस्व विभाग द्वारा मिलेट्री के खाते दर्ज की गई। ग्राम खेड़ली पुरोहित के खसरा नम्बर 118 की भूमि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार 4.27 हैक्टेयर दर्शाई है। राजस्व विभाग द्वारा मई 1996 में किये गये सर्वे की रिपोर्ट में ग्राम खेड़ली पुरोहित में सेना के खसरों का नम्बर व उनका क्षेत्रफल अंकित किया है। जिसके अनुसार 17 किता खसरों की कुल भूमि 25.02 हैक्टेयर दिखाई है। इसमें से खसरा नम्बर 118 की भूमि 4.27 हैक्टेयर बता रखी है। सन् 1996 की सर्वे रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 4.27 हैक्टेयर भूमि में से केवल 0.44 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर सेना का कब्जा है ओर शेष 3.83 हैक्टेयर पर आबादी बसी है। सन् 1996 की सर्वे रिपोर्ट के साथ के नक्शे के अनुसार सेना की खसरा नम्बर 118 की भूमि पर अतिक्रमण होना दर्शाया हुआ है।

प्रकरण में रक्षा सम्पदा अधिकारी जयपुर के अलावा अन्य दो पक्षकारों श्री शिवकांत एवं श्री चन्द्रकांत को अप्रार्थी क्रम 2 व 3 बनाने के सम्बंध मे निवेदन है कि राजस्व विभाग जब एक तरफ समस्त खसरा नम्बर 118 की भूमि को सिवायचक होना मानता है तो इस 4.27 हैक्टेयर भूमि में ही इन दो पक्षकारों का निजी भूखण्ड का होना सम्भव ही नही हो सकता। प्रार्थी द्वारा दायर प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण खसरा नम्बर 118 की सम्पूर्ण 4.27 हैक्टेयर भूमि के बाबत ही है न कि तथाकथित सी. आई. टी. कोटा द्वारा सन् 1947 में ही आवंटित भूमि को घटाकर शेष रही भूमि के बाबत है। दिनांक 4.12.50 के हैंडिंग ओवर/टेकिंग ओवर नोट में और जमाबंदियों में भी पूरी 4.27 हैक्टेयर जमीन ही सेना की बताई हुई है। अप्रार्थी क्रम 2 व 3 का मामला अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। उनके पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र का प्रार्थी द्वारा विरोध किया जाना चाहिये था।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 6.2.01 में एक तरफ तो यह लिखा है कि सिटी इम्प्रूवेंट ट्रस्ट द्वारा तत्कालीन कोटा स्टेट के समय से ही विवादित आराजी में आबादी के विकास के लिए भूखण्ड विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है लेकिन कैसे प्रमाणित होता है इसका कोई कारण व स्पष्टीकरण आदेश में उल्लेखित नहीं है। दूसरी तरफ माननीय न्यायालय ने ऐसे भूखण्डों की भूमि को ही सिवाय चक घोषित कर दिया है जो आश्चर्यजनक स्थिति है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 के अंतर्गत भारत सरकार व किसी राज्य के मध्य के विवादों का निपटारा मात्र माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है और किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नही है। इस आधार पर माननीय न्यायालय को प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। क्योकि जो भूमि भारत सरकार की संविधान के अंतर्गत हो गई उसे छीनने अथवा छेड़ने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। यदि कोई विवाद है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णित करेगा। केन्द्र सरकार की सेना की पैत्रक भूमि को सिवायचक अर्थात् राज्य सरकार की भूमि घोषित किये जाने के लिए सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा को दावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चलाना होगा।

दिनांक 03.07.2025 को रक्षा सम्पदा अधिकारी कोटा ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:–

1. दिनांक 04.12.1950 को पूर्व महाराजा कोटा की सेना की भूमि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को सुपुर्द की गयी थी। कब्जा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र तथा नक्शा जिस पर पूर्व महाराज कोटा की सेना की भूमि का स्पष्ट अंकन किया गया है उसी के आधार पर उक्त भूमि रक्षा भूमि हुई अतः कब्जा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 के साथ संलग्न नक्शे प्रदर्श 2 को साथ पढा जाना न्यायहित मे जरूरी है, क्योकि नक्शा कब्जा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र का अंगशुमार है।

कब्जा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र मे ग्राम खेडली पुरोहित तह0 लाडपुरा जिला कोटा की पूर्व रियासत की सेना की भूमि रकबा 152 बीघा अंकन है। राजस्व अभिलेख एवं कब्जा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र दिनांक 04.12.1950 के अनुसार उक्त रक्षा भूमि का अंकन रक्षा संपदा कायालय जयपुर मिलिट्री लैंण्ड रजिस्टर प्रदर्श 3 मे किया गया हैं, जिसमे कुल रकबा 152 बीघा 12 बिस्वा दर्ज हैं। जो कि पब्लिक दस्तावेज है एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 एवं 114 की तहत ग्राह्य है।

कब्जा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 एवं संलग्न नक्शे प्रदर्श 2 के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि ग्राम खेडलीपुरोहित मे 02 खसरा संख्या क्रमशः खसरा संख्या 24 एवं 29 जिसका कुल रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा 1950 मे दिये नक्शा के सेना की भूमि के अंदर ही स्थित है। लेकिन संभवतया मानवीय त्रुटियों के कारण प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 3 मे नही जोडा गया है।

असिसटेंट सेटलमेंट ऑफिसर कम असिसटेंट रिकोर्ड ऑफिसर, डिविजन कोटा ने अपने पत्र संख्या 1123 दिनांक 21.05.1963 प्रदर्श 4 द्वारा प्रथम सेटलमेंट के बाद ग्राम खेडलीपुरोहित का पर्चा लगान संख्या 27, रकबा 155 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 20 उपलब्ध कराया था। जिजसमे स्पष्ट अंकन है कि जो कि बाद मुनादी मौके पर सेना के कब्जे के आधार पर तैयार किया गया तथा दिनांक 14.12.1963 को जारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किया गया था। जिसके आधार पर दिनांक 14.12.1963 को ग्राम खेडली पुरोहित की पूर्व सेना की भूमि रकबा 155 बीघा 18 बिस्वा सेना के कब्जे मे होने के कारण राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज की गयी थी।

दिनांक 04.12.1950 को सुपुर्द पूर्व रियासत की भूमि पर लगातार सेना का कब्जा रहा है एवं आज भी मौके पर सेना स्वतंत्र रूप से काबिज है जिस पर निर्बाध रूप से सेना की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उक्त भूमि दिनांक 04.12.1950 से आज दिन तक स्थानीय सैन्य प्रशासन की अभिरक्षा (निगरानी), नियंत्रण एवं प्रबंधन मे स्थित है।

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे निर्णित प्रकरण संख्या 69/97 मे वादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार जिन पुराने खसरा नम्बर 28, 30, 31, 33, 34 एवं 35 का जिक्र किया गया हैं वह सभी हेन्डिंग टेकिंग प्रमाण पत्र एवं संलग्न नक्शे के अनुसर दिनांक 04.12.1950 को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को सुपुर्द कर दिये गये थे और प्रथम सेटलमेंट के पश्चात उक्त सभी खसरा नम्बरो से 02 नये खसरा संख्या क्रमश 41 एवं 42 से वर्तमान खसरा नम्बर 118 बना जिसका कुल रकबा 4.27 हैक्टेयर जो कि द्वितीय सेटलमेंट की जमाबंदी संवत 2038 से 2057 मे महकमा मजकुर मिलिट्री के नाम दर्ज थे।

भू प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम खेडलीपुरोहित तह0 लाडपुरा जिला कोटा के रक्षा भूमि का संवत 2016 की जमाबंदी मे उक्त भूमि भारत सरकार महकमा मिलिट्री के नाम अंकन किया तथा उसके पश्चात पर्चा लगान तरमीम दिनांक 14.12.1963 को जारी किया गया था जो कि पूर्णतया नियमानुसार है। यहा उल्लेखनीय है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त भूमि के विरूद्ध वर्ष 1997 मे यह वाद प्रस्तुत किया गया जो कि तकरीबन 38 वर्षो की लम्बी अवधि के बाद प्रस्तुत किया है जो कि कानूनी रूप से मयाद बाहर है तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ऐसा को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वाद अंतर्गत मयाद प्रस्तुत किया गया हो तथा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि ग्राम खेडली पुरोहित के खसरा संख्या 118 की भूमि रकबा 4.27 हैक्टैयर रक्षा भूमि नहीं है इसी बिनाय पर वाद धारा 136 खारिज फरमावे एवं उक्त भूमि का अंकन राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे।

इस प्रकार से उक्त प्रकरण मे मजिद बहस तर्क एवं दस्तावेजों के साथ श्रीमान के समक्ष पेश कर निवदेन है कि उक्त अनुसार इस प्रकरण मे तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 रेवेन्यु एक्ट के अनुसार चाहे गये

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

राजस्व रिकोर्ड अंकन को फेरबदल करने की कोई भी परिस्थिति वाली स्थिति प्रकरण मे नही होने व उक्त प्रकार की परिस्थिति व उक्त प्रकार रहे राजस्व रिकोर्ड अंकन के अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित किये गये उज्रात किसी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य व न्यायोचित नही माना जाना मानते हुए प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा पेश इस कार्यवाही प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा ग्राम खेडली पुरोहित तह0 लाडपुरा कोटा के खसरा नम्बर 118 रकबा 4.27 हैक्टेयर भूमि को पुनः भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के नाम पर नामान्तरित कर राजस्व रिकोर्ड को दुरस्त करने का आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई

विद्वान अभिभाषक सम्पदा अधिकारी द्वारा लिखित बहस को ही बहस मानने हेतु अनुरोध किया गया।

राजकीय पेरोकार द्वारा निवेदन किया गया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत 136 का प्रार्थना पत्र पूर्णतया नियम संगत है तथा सम्पदा अधिकारी या सेना विभाग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कई सारे तथ्यो के संबंध मे कोई जवाब नही दिया गया। राजकीय पेराकार द्वारा निवेदन किया गया कि पूर्व कोटा रियासत द्वारा स्थापित सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिनांक 11.10.1947 को 30 बीघा मे भूमि भवन निर्माण हेतु प्लांट विक्रय करने हेतु आवंटित की गई थी तथा सीआईटी द्वारा उक्त भूमि मे प्लाट्स का विक्रय किया गया। पत्रावली मे शिवकांत व चन्द्रकांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह उठाया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के तहत पूर्व शासक द्वारा पारित आदेश एवं कानून से भारत संघ पाबंद्ध तथा सीआईटी द्वारा पूर्व शासक की अनुमति से किये गये विक्रयों को मानने हेतु भारत संघ पाबंद्ध है, इस तथ्य बाबत कोई भी टीप्पणी एवं स्पष्टीकरण सेना विभाग द्वारा नही दिया गया।

राजकीय पेराकार द्वारा यह भी निवदेन किया गया है कि लोक सभा मे एक प्रश्न के जवाब मे आर्मी हैडक्वार्टर द्वारा दिये गये जवाब दिनांक 15.07.1965 तथा स्टेशन हैडक्वार्टर राजस्थान जोधपुर के पत्र दिनांक 10.05.1966 के संबंध मे भी सेना विभाग द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया है जबकि पत्रावली मे संलग्न स्टेशन हेडक्वार्टर के पत्र दिनांक 10.05.1966 से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने यह सलाह दी थी की सीआईटी कोटा द्वारा निलाम/आवंटन किये गये प्लाट्स को भारत सरकार द्वारा अमान्य नही किया जा सकता।

राजकीय पेराकार द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि सीआईटी द्वारा विक्रय किये गये 24 भवनों की भूमि को मिलेट्री लैण्ड रिकोर्ड मे से हटाने के संबंध मे भी सेना विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट नही की गई है।

राजकीय पेराकार द्वारा निवेदन किया गया कि क्योकि सीआईटी कोटा द्वारा भूमि का आवंटन/विक्रय सेना विभाग को भूमि संभलाई जाने से पूर्व किया जा चुका था अतः

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के तहत उक्त विक्रय को मानने हेतु भारत संघ तथा राज्य सरकार बाध्य है तथा इस भूमि का किसी भी रूप मे सेना विभाग या अन्य किसी भी संस्थान को आवंटन नही किया जा सकता था।

राजकीय पेराकार द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि भू प्रबंध विभाग द्वारा भू प्रबंध संवत 2016–24 के दौरान खसरा नम्बर 41 की किस्म चांदमारी से बदलकर गैर मुमकिन आबादी दर्ज की तथा अपनी अधिकारिता से बहार जाकर उक्त खसरा नम्बर को सेना विभाग के खाते दर्ज कर दिया गया। अतः उक्त खसरा नम्बर की भूमि सिवायचक दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन किया।

तथा बहस उभय पक्ष पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

पत्रावली के अवलोकन से कुछ तथ्य स्पष्टतया प्रमाणित होते है।

1. ग्राम खेडली पुरोहित की जमाबंदी सवत 2003 से 2006 के अनुसार खाता संख्या 33 के खसरा नम्बरान की स्थिति निम्नानुसार थी:–

ख.न.	रकबा	किस्म	खाता
28	22 बीघा 08 बिस्वा 17 बिस्वा	चांदमारी सड़क	पडत मजकुर
30	1 बीघा 13 बिस्वा	चांदमारी	पडत मजकुर
31	04 बीघा 12 बिस्वा 3 बिस्वा	चांदमारी सड़क	पडत मजकुर
35	09 बीघा 03 बिस्वा	चांदमारी	पडत मजकुर
34	02 बीघा 15 बिस्वा	चांदमारी	पडत मजकुर
35	02 बीघा 01 बिस्वा	चांदमारी	पडत मजकुर

2. ग्राम खेडली पुरोहित की जमाबंदी संवत 2016 से 2024 के अनुसार बन्दोबस्त मे उक्त खसरा नम्बरान से 28 मे 02 बीघा 2 बिस्वा, 30 मे से 9 बीघा 10 बिस्वाा, 31 मे से 6 बीघा 07 बिस्वा, 33 मे से 04 बीघा 04 बिस्वा, 34 मे से 02 बीघा 02 बिस्वा, 35 मे से 13 बिस्वा लेकर नया खसरा नम्बर 41 बनाया गया जिसका रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा दर्ज किया गया।
3. तथा बन्दोबस्त संवत 2016–24 मे खसरा नम्बर 41 की किस्म चांदमारी से बदल कर गैरमुमकिन आबादी दर्ज की गई। तथा खाता पड़त मजकुर के स्थान पर महकमा मिलेट्री दर्ज किया गया।
4. ग्राम खेडली पुरोहित की जमाबंदी संवत 2038–57 के अनुसार दौराने बन्दोबस्त खसरा नम्बर 41 किस्म गैरमुमकिन आबादी रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा का नया नम्बर 118 बनाया गया। तथा खसरा नम्बर 118 का रकबा 4.27 हैक्टैयर किस्म गैरमुमकिन आबादी खात महकमा मिलेट्री के नाम दर्ज किया गया।
5. तहसीलदार रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 118 के 0.44 हेक्टेयर पर महकमा मिलेट्री का कब्जा है। तथा शेष 3.83 हैक्टैयर पर आबादी बसी हुई है एंव मकानात बने हुये है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

6. सिटी इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट के पत्र दिनांक 04.11.1947 से यह प्रमाणित होता है कि सीआईटी द्वारा 11,250 रूपये मे देवता श्रीधर लाल जी को प्लॉट का बेचान किया गया था। जिसके संलग्न विक्रय पत्र की प्रति से इस प्लॉट का क्षेत्रफल 300 गुणा 150 फिट होना भी प्रमाणित होता है।
7. स्टेशन कमाण्डर कोटा द्वारा हेडक्वाटर दिल्ली को लिखे गये पत्र की प्रति दिनांक 15.07.1965 से यह स्पष्ट होता है कि स्टेशन कमाण्डर द्वारा अंकित किया गया है कि सीआईटी द्वारा किये गये उक्त आवंटनों/विक्रयों के क्रम में विधि मंत्रालय से राय लिया जाना उचित होगा।
8. पत्रावली मे संलग्न लैफ्टीनेंट कर्नल के पत्र दिनांक 10.05.1966 मे यह स्पष्टतया स्वीकार किया गया है कि विधि मंत्रालय द्वारा यह राय दी गई है कि सीआईटी कोटा द्वारा किये गये आवंटनों को भारत सरकार द्वारा अमान्य नही किया जा सकता।

पत्रावली मे संलग्न सेना विभाग के जवाब तथा लिखित बहस मे सेना विभाग द्वारा सन् 1965 से 1967 के मध्य हुये इस पत्राचार तथा विधि मंत्रालय की राय बाबत् कोई तथ्य अंकित नही किया गया है।

हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 से सम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के अनुसारः–

इस संविधान के प्रारम्भ से (क) सभी संपति और आस्तियां, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के संगत किसी देशी राज्य में निहित थी, संघ में निहित हो जायेगी, यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसी सम्पति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले धारण की गई थीं, तत्पश्चात संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित संघ के प्रयोजन होगें, और (ख) पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के संगत किसी देशी राज्य की सरकार के सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुई हों या अन्यथा, भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताए होगीं यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंम्भ से पहले अर्जित किए गए थे, या दायित्व या बाध्यताएं उपगत हुई थीं, तत्पश्चात संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित भारत सरकार के प्रयोजन होगें, बशर्ते कि भारत सरकार उस राज्य की सरकार के साथ इस निमित्त कोई करार करे।

उक्त सम्पूर्ण तथ्यों तथा संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत आराजी भू प्रबंध संवत 2016–2024 से पूर्व सिवायचक दर्ज रिकोर्ड थी। दौराने भू प्रबंध संवत् 2016–2024 प्रश्नगत आराजी को सेना विभाग के नाम दर्ज किया गया। लेकिन प्रश्नगत आराजी का विक्रय पूर्व कोटा रियासत द्वारा स्थापित सीआईटी द्वारा सन 1947 मे कर दिया गया था। सीआईटी द्वारा जिस भूमि का विक्रय किया गया उसका कितना भाग प्रश्नगत आराजी मे सम्मिलित है, इस बिन्दु को किसी पक्षकार द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे यह जरूर स्पष्ट

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

किया गया है कि प्रश्नगत आराजी के 0.44 हैक्टैयर भाग पर सेना विभाग काबिज है। तथा शेष भाग पर मकानात बने हुये है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के तहत भी पूर्व भाग की रियासतों का दायित्व भारतीय संघ का दायित्व है। जिसे सेना विभाग के पत्राचार मे स्वीकार किया गया है। सेना विभाग के संलग्न पत्राचार मे भारत सरकार के विधि मंत्रालय की यह राय भी स्पष्ट हो जाती है कि सीआईटी के द्वारा किये गये भूमि आवंटन को वर्तमान सरकार द्वारा अमान्य नही किया जा सकता। उक्त परिस्थितियों मे इस न्यायालय के विनम्र मत मे सीआईटी द्वारा कोटा रियासत के राजस्थान राज्य मे विलय से पूर्व किये गये आवंटन व विक्रय अंतिम है जिस पर विवेचन इस न्यायालय मे न्यायोचित नही है। सेना विभाग यह प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि सेना विभाग को दिसम्बर 1950 मे जिन दस्तावेजों के आधार पर कब्जा दिया गया था उस समय प्रश्नगत आराजी रिक्त थी तथा प्रश्नगत आराजी पर बने हुये मकान उसके पश्चात के है। जबकि पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि सीआईटी कोटा द्वारा श्रीदेवता श्रीधरलाल जी को भूमि का आवंटन 06.11.1947 को किया गया। उक्त विक्रय की सम्पूर्ण राशी दिनांक 15.01.1948 को जमा होने पर प्लाट का कब्जा दे दिया गया तथा सीआईटी कोटा द्वारा दिनांक 21.05.1949 को श्रीदेवता श्रीधर लाल जी को निर्माण की स्वीकृति भी जारी कर दी गई थी श्रीदेवता श्रीधर लाल जी के प्रार्थना पत्रानुसार उक्त प्लांट पर कोठियों का निर्माण जनवरी 1950 मे पूर्ण हो गया था। श्री देवता श्रीधर लाल का यह कथन पत्रावली मे संलग्न इस दस्तावेज से प्रमाणित होता है जिसके अनुसार जिला कलक्टर कोटा द्वारा सन 1951 मे Requsite करने के आदेश जारी किये गये थे।

सम्पदा अधिकारी द्वारा लिखित बहस मे निवेदन किया गया है कि:–

" भारतीय संविधान के आर्टिकल 295 के अनुसार संविधान के दिनांक 26.1.1950 से लागू होने से भूतपूर्व कोटा रियासत की फौज के उपयोग की समस्त भूमि भारतीय सेना की हो गई थी। इस बाबत भारतीय सेना के व राज्य सरकार की अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसके अनुसार समस्त भूमि का हेंडिग ओवर/टेकिंग ओवर दिनांक 4.12.50 को हुआ था। इसके अनुसार ऐसी समस्त भूमि का स्वामित्व केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय का हो गया जिसके लिए किसी प्रकार के इंतकाल अथवा आवंटन आदि की किसी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नही बची थी।"

लेकिन पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि सेना विभाग को भूमि सुपुर्द किये जाने से पूर्व ही सीआईटी कोटा द्वारा उक्त भूमि पर प्लाट्स का आवंटन विभिन्न व्यक्तियों को किया जा चुका था। इन व्यक्तियों की सूची प्रार्थी तहसीलदार द्वारा तो प्रस्तुत नही की गई है लेकिन अप्रार्थी सेना सम्पदा अधिकारी द्वारा इन प्लाट्स की सूची प्रस्तुत की गई है। उक्त तथ्य से प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत आराजी दिसम्बर 1950 मे कोटा रियासत की फौज के उपयोग की भूमि नही थी वरन् उक्त आराजी सीआईटी कोटा द्वारा प्लाट्स के रूप मे विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

कर दी गई थी तथा कई व्यक्तियों द्वारा निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर अपने निर्माण भी कर लिये गये थे।

रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा अपनी लिखित बहस मे यह भी निवेदन किया गया है कि :–

"श्री शिवकांत एवं श्री चन्द्रकांत को अप्रार्थी क्रम 2 व 3 बनाने के सम्बंध मे निवेदन है कि राजस्व विभाग जब एक तरफ समस्त खसरा नम्बर 118 की भूमि को सिवायचक होना मानता है तो इस 4.27 हैक्टेयर भूमि में ही इन दो पक्षकारों का निजी भूखण्ड का होना सम्भव ही नही हो सकता। प्रार्थी द्वारा दायर प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण खसरा नम्बर 118 की सम्पूर्ण 4.27 हैक्टेयर भूमि के बाबत ही है न कि तथाकथित सी. आई. टी. कोटा द्वारा सन् 1947 में ही आवंटित भूमि को घटाकर शेष रही भूमि के बाबत है।"

लेकिन पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत आराजी तत्समय सिवायचक दर्ज थी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन महत्वपूर्ण है कि राजकीय भूमि महकमा खास मे निहित थी तथा प्लाट्स के रूप मे भूमि का आवंटन सीआईटी द्वारा महकमा खास के ऐजेंट के रूप मे किया गया था। महकमा खास द्वारा ही निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी। अतः राजकीय भूमि होने से राज द्वारा किये गये आवंटन पर प्रश्नचिह्न नही लगाया जा सकता।

रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा अपनी लिखित बहस मे यह भी निवेदन किया गया है कि :–

"सिटी इम्प्रूवेंट ट्रस्ट द्वारा तत्कालीन कोटा स्टेट के समय से ही विवादित आराजी में आबादी के विकास के लिए भूखण्ड विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है लेकिन कैसे प्रमाणित होता है इसका कोई कारण व स्पष्टीकरण आदेश में उल्लेखित नहीं है।"

राजकीय पेरोकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि पत्रावली पर ना केवल आवंटन के दस्तावेज संलग्न है बल्कि निष्पादित लीज डीड की प्रति तथा निर्माण स्वीकृति आदेश की प्रति भी संलग्न है। उक्त लीज डीड तथा निर्माण स्वीकृति आदेश मे दिशाओं स्पष्ट अंकन किया गया है। जो यह प्रमाणित करता है कि उक्त आवंटन प्रश्नगत आराजी मे ही किये गये थे।

रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा अपनी लिखित बहस मे यह भी निवेदन किया गया है कि :–

"दिनांक 04.12.1950 को सुपुर्द पूर्व रियासत की भूमि पर लगातार सेना का कब्जा रहा है एवं आज भी मौके पर सेना स्वतंत्र रूप से काबिज है जिस पर निर्बाध रूप से सेना की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उक्त भूमि दिनांक 04.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

12.1950 से आज दिन तक स्थानीय सैन्य प्रशासन की अभिरक्षा (निगरानी), नियंत्रण एवं प्रबंधन मे स्थित है।"

उपस्थित राजकीय पेराकार द्वारा उल्लेखित किया गया कि सेना विभाग प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा दर्शा रहा है तथा वर्णित कर रहा है कि प्रश्नगत आराजी पर निर्बाध रूप से सेना की गतिविधियां संचालित है। वही दुसरी तरफ सेना विभाग अपनी पूर्व मे प्रस्तुत लिखित बहस मे वर्णित कर रहा है कि राजस्व विभाग द्वारा मई 1996 मे सेना विभाग की भूमियों का सर्वे किया गया था जिसके अनुसार 17 किता खसरों की कुल भूमि 25.02 हैक्टेयर सेना विभाग के नाम दर्ज है इसमे से खसरा नम्बर 118 की 4.27 हेक्टैयर भूमि भी है। साथ ही सेना विभाग द्वारा अपनी लिखित बहस मे यह भी वर्णित किया गया है कि 4.27 हैक्टेयर मे से केवल 0.44 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर सेना का कब्जा है और शेष 3.83 हैक्टेयर पर आबादी बसी हुई है।

राजकीय पेरोकार का कथन है कि इस प्रकार सेना विभाग स्वयं स्वीकार कर रहा है कि खसरा नम्बर 118 की 3.83 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है तथा आबादी बसी हुई है। इस प्रकार सेना विभाग का यह कथन पूर्णतया असत्य है कि प्रश्नगत आराजी सेना विभाग के कब्जे मे है।

राजकीय पेरोकार का कथन है कि प्रश्नगत आराजी पर प्रारम्भ से ही सेना का कब्जा नही है। क्योकि सेना विभाग को भूमि सौपे जाने से पूर्व ही प्रश्नगत आराजी का आवंटन सीआईटी कोटा द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को किया जा चुका था। तथा आवंटी व्यक्ति मौके पर काबिज थे तथा वर्तमान तक भी काबिज है।

रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा अपनी लिखित बहस मे यह भी निवेदन किया गया है कि :–

"कब्जा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र मे ग्राम खेडली पुरोहित तह0 लाडपुरा जिला कोटा की पूर्व रियासत की सेना की भूमि रकबा 152 बीघा अंकन है। राजस्व अभिलेख एवं कब्जा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र दिनांक 04.12.1950 के अनुसार उक्त रक्षा भूमि का अंकन रक्षा संपदा कायालय जयपुर मिलिट्री लैंण्ड रजिस्टर प्रदर्श 3 मे किया गया हैं, जिसमे कुल रकबा 152 बीघा 12 बिस्वा दर्ज हैं। जो कि पब्लिक दस्तावेज है एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 एवं 114 की तहत ग्राह्य है।"

राजकीय पेरोकार द्वारा वर्णित किया गया है कि इस तथ्य पर कोई विवाद नही है कि मिलिट्री लैण्ड रजिस्टर सेना विभाग द्वारा तैयार दस्तावेज है जो राजस्व रिकोर्ड की अनुपस्थिति मे साक्ष्य के रूप मे ग्राह्यी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हस्तगत प्रकरण मे सन् 1965 से 1967 के मध्य सेना विभाग के पत्राचार के दस्तावेजों की प्रतियां रिकोर्ड पर उपलब्ध है जिनमे यह स्वीकार किया गया है कि सेना विभाग को भूमि सुपुर्द किये जाने से पूर्व सीआईटी कोटा द्वारा किये गये आवंटनों को अस्वीकार किया जाना संभव नही है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

राजकीय पेरोकार द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि विधि मंत्रालय द्वारा भी सेना हैडक्वाटर को यह राय दी गई है कि सीआईटी कोटा द्वारा किये गये आवंटनों को भारत सरकार द्वारा अमान्य नही किया जा सकता।
उक्त परिस्थिति मे राजकीय पेरोकार का निवेदन है कि जब हस्तगत आराजी पूर्व कोटा रियासत की सेना के उपयोग मे आ ही नही रही थी तो उस परिस्थिति मे हस्तगत आराजी सेना विभाग को संभलाये जाने का कोई कारण ही पैदा नही होता। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के तहत सेना विभाग पूर्व देशी रियासत कोटा की संविदाओं को मानने के लिए बाध्य है तथा इसी अनुच्छेद के तहत सम्पदा अधिकारी हस्तगत आराजी मे कोई हक नही रखते।

उक्त परिस्थिति मे हमारे विनम्र मत मे यह स्थापित है कि प्रश्नगत आराजी का विक्रय सेना विभाग के पक्ष मे निष्पादित टेकनऑवर हैण्डऑवर दस्तावेज से पूर्व हो चुका था। तथा उक्त आराजी पर निर्माण स्वीकृति जारी होकर निर्माण कार्य भी उक्त दस्तावेज से पूर्व हो चुका था। सेना विभाग का सम्पूर्ण कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 पर आधारित है। लेकिन हमारे विनम्र मत मे अनुच्छेद 295 के तहत ही उक्त विक्रयों का वैधानिक आधार स्थापित होता है। अतः उक्त विवेचना के आधार पर हम सेना विभाग को निष्पादित टेकन ऑवर हैण्ड ऑवर दस्तावेज से पूर्व सीआईटी कोटा द्वारा पूर्व कोटा रियासत के समय किये गये विक्रयों/आवंटन को अनुच्छेद 295 के तहत दायित्व स्वीकार करते हुये भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त रकबे को सेना विभाग के खाते दर्ज किये जाने को न्यायाचित नही पाते है।

चूकि उभय पक्षकारान द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि सीआईटी कोटा द्वारा कितनी भूमि का विक्रय कर दिया गया था तथा कितनी भूमि मौके पर रिक्त थी। अतः हम यह न्यायोचित पाते है कि भविष्य मे वाद बहुलता को रोकने हेतु वर्तमान कब्जे के आधार पर ही राजस्व रिकोर्ड मे अंकन किया जावे।

अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम खेडलीपुरोहित के वर्तमान खसरा नम्बर 118 की 0.44 हैक्टेयर आराजी सेना विभाग के खाते दर्ज की जावे तथा शेष 3.83 हैक्टेयर आराजी किस्म गैर मुमकिन आबादी खाता सरकार सिवायचक दर्ज की जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा